डा० किरण माला

एसोशिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग

मगध महिला कॉलेज पटना

कारक प्रकरण

बी॰ ए॰ स्नातक पार्ट-2

पेपर 3

क्रियान्वयि कारकं।

क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे **कारक** कहते हैं।

कर्ता कर्म च करणं संप्रदानम् तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु: कारकानि षट्।

1ण कर्ता
2ण कर्म
3ण करण
4ण संप्रदान
5ण अपादान
6ण अधिकरण

ये छ: कारक होते हैं।

कारक	**चिन्ह**	**उदाहरण**
कर्ता	ने	**राम: गच्छति ।**
कर्म	को	बालकः **विद्यालयं** गच्छति।
करण	**से**ए द्वारा	सः **हस्तेन** खादति।
संप्रदान	के लिए	**निर्धनाय** धनम देयम।
अपादान	**से** ए अलगावएतिवउ	**वृक्षात्** पत्राणि पतन्ति।

'सम्बन्ध	सम्बन्ध - का की के (वद्धिए रा री रे ना नी ने	रामः **दशरथस्य** पुत्रः आसीत्।
अधिकरण	में पे पर)	यस्य **गृहे** माता नास्ति .
*सम्बोधन	हे! अरे!	हे !राम अत्र आगच्छ .

'सम्बन्ध को कारक नहीं माना जाता है स

*सम्बोधन को भी कारक नहीं माना जाता है स

1ण **कर्ता कारक**- क्रिया को करनेवाला कर्ता कहलाता हैस **छात्र: पठति** सइस वाक्य मे छात्र: कर्ता का पठति क्रिया के साथ साक्षात संबंध है एकर्ता और क्रिया एक दूसरे से आकांक्षा युक्त है अत: सीधे संबंध रखते है स इस प्रकार क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण प्रथमा विभक्तियुक्त राम : कर्ता कारक है स

*कर्तृ वाच्य मे कर्ता मे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है किन्तु कर्मवाच्य मे कर्ता मे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है स

उदा॰ राम: वेदं पठतिस (कर्तृ वाच्य)

रामेण वेद : पठ्यते स ;कर्म वाच्य)

प्रातिपदिकार्थलिगपरिमाणवचनमात्रें प्रथमा 2/3/46//

अर्थ. प्रातिपदिकार्थमात्र में लिंगमात्र की अधिकता में परिमाण मात्र में और वचनमात्र में प्रथमा होती है। किसी शब्द के उच्चारण करने पर निश्चित रुप से

जिस अर्थ की उपस्थिति हो अर्थात् प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं अतः कहा गया है. 'नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः।'

सूत्र में उच्चारित 'मात्र' शब्द अवधारणार्थक है। चारों मानकों प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन के साथ 'मात्र' शब्द का सम्बन्ध है। सूत्र का अर्थ यह है कि प्रातिपदिकार्थ में ही, प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंगमात्र की अधिकता होने पर,

प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाणमात्र की अधिकता होन पर और प्रातिपदिकार्थ होते हुए संख्यामात्र भी रहने पर प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थमात्र तो सर्वत्र सहता ही है।

उदाहरण .(1) प्रातिपदिकार्थमात्रे अर्थात् किसी शब्द के उच्चारण करने पर नियतरुप से जिस अर्थ की प्रतीति होती हो ऐसे प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा विभक्ति होने का उदाहरण है. उच्चैः (उपर), नीचैः (नीचे), कृष्णः, श्रीः (लक्ष्मी) तथा ज्ञानम् ।

1- यहॉ उच्चैः और नीचैः अव्यय है अतः अलि^{3}ग हैं ।

2- 'कृष्णः' नित्य पुलि^{3}ग है तथा इससे 'कृष्ण' का वासुदेव अर्थ निश्चित रुप से उपस्थित है

3- 'श्रीः' नित्य स्त्रीलि^{3}ग है। 'श्री' शब्द के उच्चारण से लक्ष्मी यह अर्थ निश्चित रुप से उपस्थित है।

4- 'ज्ञानम्' नित्य नपुंसकलि^{3}ग है। 'ज्ञान' शब्द से विद्या की सम्पन्नता यह अर्थ निश्चित रुप से उपस्थित है।

अतः प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण अलि^{3}ग और नियतलि^{3}ग होंगें ।

(2) लि^{3}गमात्राधिक्ये. अर्थात् प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंगमात्र की अधिकता हो तो भी प्रथमा विभक्ति होती है। यथा .

1- तटः (पुल्लि^{3}ग)

2- तटी (स्त्रीलि^{3}ग)

3- तटम् (नपुंसकलि^{3}ग)

अर्थात 'तट' शब्द तीनों लि^{3}गों में प्रयुक्त हाने के कारण लि^{3}गमात्राधिक्य का उदाहरण है ।

(3) परिमाणमात्रे. अर्थात् कहीं पर भी किसी शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती अपितु प्रातिपदिकार्थ की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। यथा .

1- 'द्रोणो व्रीहिः' अर्थात द्रोण (माप.तौल हेतु परिमाण विशेष) भर चावल। यहाँ द्रोण परिमाण और ब्रीहि द्रव्य में परिच्छेद्य.परिच्छेदकभा रुप सम्बन्ध से अन्वय करने के लिए परिमाण अर्थ में प्रथमा की जाती है।

(4) वचनमात्रे. अर्थात् एक, द्वि आदि से एकत्व द्वित्व आदि संख्यारुप अर्थ उक्त होने पर भी वचन ग्रहणसामर्थ्य से उक्तार्थानामप्रयोगः इस नियम को बाधकर 'सु' आदि प्रत्यय होते है। इसलिये संख्यामात्रें का उच्चारण किया जिससे एक, द्वि, बहु में स्वतः संख्यावाचक होते हुए भी प्रथमा विभक्ति का विधान हो, जिससे से पद बन सकें। यथा .

1- एकः, द्वौ, बहवः . . . . . .

सूत्र में 'मात्र' शब्द के ग्रहण करने का दूसरा फल यह है कि 'कारक' आदि अर्थ की अधिकता प्रतीत होने पर प्रथमा विभक्ति नहीं होती ।

2- सम्बोधने च 2/3/47//

अर्थ . सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। पूर्व सूत्र से (2-3-46) 'प्रथमा' की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार सम्बोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। 'प्रातिप्रदिकार्थ' से अधिक प्रतीति होने वाले अर्थ के कारण उसका पृथक निर्देष किया जा रहा है। सम्मुखीकरण को सम्बोधन कहा जाता है। सिद्ध पदार्थ का क्रिया के प्रति विनियोग करने के लिए सम्बोधन का आश्रय लिया जाता है।

सम्बोधन के लिए प्रयुक्त विभक्ति आमन्त्रित विभक्ति भी कही जाती है। उदाहरण. हे राम।

3- कारके 1/4/23//

अर्थ . यह अधिकार सूत्र है। अधिकार होने के कारण ''तत्प्रयोजको हेतुश्च'' (14-55) सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति रहेगी। इसके फलस्वरुप अपादानादि संज्ञाविधान करने वाले सत्रों में 'कारके' का प्रभाव पड़ने के कारण कर्म, कर्ता, करण आदि 'कारक' कहलाते है। कारक का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है 'करने वाला' (करोति इति कारकम्.**कृ+ण्वुल=कारक।** कारक का क्रिया के साथ अन्वय होता है। कारक छह है. कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण। सम्बन्ध कारक नहीं है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं होता है।

1-3-1- उदाहरण वाक्य एवं अभ्यास

उदाहरण वाक्य .

1- रामः पठति ।

2- रमेशः गच्छति ।

3- बालकाः वदन्ति।

4- आशा पाठयति ।

5- फलं पतति।

6- हे राम !

7- हे विष्णो !

8- हे हरे !

9- भोः सुते !

10- भोः कन्ये !

कर्मकारक . (द्वितीया विभक्ति)

4- कर्तुरीप्सिततमं कर्म 1/4/49//

अर्थ.. कर्ता (अपनी) क्रिया से (जिस पदार्थ को) सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस कारक को 'कर्म' कहते है। यहॉ प्रश्न होता है कि 'कर्तुः' पद का क्या प्रयोजन है ?

सूत्र में 'कर्तुः' पद न रखने पर **'माषेशु अश्वम् बध्नाति'** (= उड़द के खेत में घोडे को बांधता है) में 'माश' को भी कर्म संज्ञा हो जाती, क्योंकि उड़द खाना भी घोड़े को अभीश्ट है। किन्तु 'कर्तुः' पद का प्रयोग करने पर 'माश' को कर्म.संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि 'माश' घोड़े (कर्म) की तो अभीश्ट है, किन्तु बांधने वाले (कर्ता) को ईप्सिततम नहीं है। वाक्य में 'बध्नाति' क्रिया का उल्लेख किया गया है । उसके (क्रिया के) द्वारा कर्ता का इश्टतम अष्व है, अतः वह कर्मसंज्ञक हुआ। 'बन्धन' क्रिया का अधिकरण होने से 'माशे' में 'सप्तमी' विभक्ति हुई है। सूत्र में 'तमप्' ग्रहण न करने पर केवल 'ईप्सित' को भी कर्मसंज्ञा होनेलगती है। उसका निराकरण करने के लिए 'तमप्' ग्रहण किया गया है। जिसके फलस्वरुप 'पयसा ओदनं भु^{3}क्ते' (=दूध से भात खाता है) में 'पयस' को 'कर्म' संज्ञा नहीं हुई। यद्यपि भोजन क्रिया के द्वारा कर्ता को 'पय'

तथा 'ओदन' दोनो ही अभीश्ट है तथापि ओदन को निगलने में 'पय' सार्थक है, 'कर्ता' का इश्टतम नहीं है। अतः 'पयसा' में तृतीया विभक्ति हुई ।

5- अनभिहिते 2/3/1//

अर्थ. अनभिहित षब्द का अर्थ है. अकथित । इस विभक्तिविधायकप्रकरण में 'अनभिहित' इस सूत्र का अधिकार है। अर्थात् अनुक्त कर्मादि से विभक्ति का विधान होता है। जो क्रिया से उक्त नहीं अर्थात् साक्षात् सम्बद्ध नहीं है वह अनुक्त कहलाता है।

6- कर्मणि द्वितीया 2/3/2//

अर्थ. कर्म अनुक्त होने पर द्वितीया हो।

उदाहरण . **हरिं भजति।** यहॉ हरि अनुक्त कर्म है क्योंकि यहाँ 'भजति' क्रिया से साक्षात् सम्बन्ध 'भक्तादि' कर्ता कारक का है कर्म का नहीं अतः द्वितीया विभक्ति होगी। कर्म उक्त होने पर तो 'प्रातिपदिकार्थ' मात्र में प्रथमा होगी। 'कर्म' आदि का अभिधान प्रायः **तिङ्ग्** कृत, तद्वित तथा समास द्वारा होता है। यथा ति[3]्.हरिः सेव्यते (=हरि की सेवा की जाती है)। कृत्. लक्ष्म्या सेवितः (=लक्ष्मी द्वारा सेवित)। तद्वित. षतेन क्रीतः षत्यः (=सौ से खरीदा हुआ)। समास.प्राप्तः आनन्दः यं स प्राप्तानन्दः (=जिसको आनन्द ने प्राप्त कर लिया है) कहीं.कहीं निपात द्वारा भी कर्मादि उक्त होते है। जैसे . **'विशवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्'** (=विश का पेड़ भी बढ़ा कर स्वयं काटना उचित नहीं)

7- तथायुक्तं चानीप्सितम् 1/4/50//

अर्थ. (पूर्व सूत्र मे यह बताया जा चुका है कि क्रिया के माध्यम से कर्ता का ईप्सिततम 'कर्म' माना जाता है। जहॉ पर कर्म के लिये क्रिया होती है, वहॉ कर्म 'ईप्सित' होता है। ईप्सित के साथ अनीप्सित भी कर्म हो जाता है। इसी का प्रतिपादन किया जा रहा है।)

क्रिया से युक्त ईप्सिततम के समान अनीप्सित (उपेक्ष्य) भी 'कारक' संज्ञक होने के साथ कमर्संज्ञक होता है।

(1) उदासीन कर्म का उदाहरण. **ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति** (='गाँव को जाते हुए तिनके को भी छूता है।') यहाँ गच्छति क्रिया के सम्बन्ध में 'ग्राम' तो कर्ता का ईप्सिततम है फिर भी जाते.जाते तिनके का स्पर्श भी अनायास हो जाता है जबकि 'स्पर्श' के विषय में कर्ता उदासीन है। अतः 'तृणम्' में भी द्वितीया हुई ।

(2) द्वेष्य का उदाहरण. **'ओदन भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते'**(= 'भात खाते हुए विष खा लेता है।') इस उदाहरण में खाने वाले को विष ईप्सित नहीं है। भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का प्राप्य इष्टतम 'ओदन' है। **भुङ्क्ते** क्रिया के साथ योग होने पर प्रकृत सूत्र

में अनीप्सित होने पर भी 'विष' की कर्म संज्ञा हुई। फलस्वरुप 'विषम्' में द्वितीया विभक्ति हुई ।

8- अकथितं च 1/4/51//

अर्थ . अपादानादि से अविवक्षित कारक ही कर्म.संज्ञा होती है। दुह्, याच्, पच्, दण्ड्, रुध् , प्रच्छ्, चि, ब्रू, षास्, जि, मथ् , तथा मुश इन बारह धातुओं तथा नी, ह्व, कृश्, और वह् धातुओं के कर्म के साथ जिसका सम्बन्ध होता है वही 'अकथित' है। इस प्रकार परिगणन करना चाहिये।

उदाहरण . (1) दुह्=गां दोग्धि पयः।

(2) याच्=बलिं याचते वसुधाम्

(3) पच्.ताण्डुलान् ओदनं पचति

(4) दण्ड. गर्गान् षतं दण्डयति

(5) रुध्.व्रजम् अवरुणद्धि गाम् (

6) प्रच्छ्. माणवकं पन्थानं पृच्छति

(7) चि.वृक्षम् अवचिनोति फलानि